संख्या-27/2015/1609/18-4-2015-27(विविध)/15

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर,2015

विषय-उ0प्र0 निर्यात सम्वर्धन परिषद के गठन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश से वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात के वर्तमान स्तर को बनाये रखते हुए सहयोग एवं संरक्षण के द्वारा संवृद्धि दर के उच्च स्तर को प्राप्त करने, राष्ट्रीय निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी को दोगुना करने निर्यातक इकाईयों के लिए हितकारी परिवेश, बेहतर विपणन सुविधायें, नये बाजारों से सम्बन्धित अवसरों की पहचान, गुणवत्ता एवं पैकिंग के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अंगीकरण एवं इस हेतु उद्योगों को अभिप्रेरित एवं परम्परागत उद्योगों को मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास हेतु तकनीक एवं कौशल उन्नयन से सम्बन्धित सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निर्यात सम्वर्धन परिषद का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा आई.सी.डी., (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) सी.एफ.एस. (कन्टेनर फ्रेट स्टेशन) के उच्चीकरण एवं रेल/रोड नेटवर्क से कनेक्टीविटी, विदेशी बाजारों में वेयर हाउस एवं शो-रूम्स की स्थापना, डिजाईन सेन्टर, डिजाईन लैब, डिजाईन बैंक, टूल रूम आदि की स्थापना, निर्यातकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, निर्यात हेतु नवाचार को प्रोत्साहन एवं रॉ-मैटेरियल बैंकों की स्थापना विषयक कार्य किया जायेगा। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पोजिट टेस्टिंग लैब, एक्सपोर्ट पार्क, कॉमन फैसिलिटी सेन्टर, रिसोर्स सेन्टर, लाईब्रेरी एवं म्यूजियम आदि की स्थापना तथा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेन्स की पात्रता में अन्य नगरों को लाने हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। परिषद द्वारा ट्रेड एवं इण्डस्ट्री की सक्रिय भागीदारी से उपर्युक्त गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्पाद/सेवा समूहों पर भी फोकस किया जायेगा:-

1	एग्रीकल्चर एवं मीट	2	आई.टी. एण्ड इलेक्ट्रानिक्स
3	हैण्डीक्राफ्ट्स	4	हैण्डलूम्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	कारपेट एवं दरी	6	परफ्यूमरी,फ्रेगरेन्सीज एवं एसेन्सियल आयॅल्स
7	फार्मास्यूटिकल्स एवं मेन्थॉल	8	मार्बल,स्टोन, सिरेमिक्स एवं पॉटरी
9	लेदर एवं लेदर प्रोडक्ट्स	10	रेडिमेड गारमेन्ट्स
11	स्पोर्टस गुड्स	12	इन्जीनियरिंग गुड्स
13	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	14	पर्यटन, परिवहन एवं हास्पिटैलिटी
15	अन्य		

(3) इस हेतु उपर्युक्त प्रत्येक उत्पाद समूह के लिए पैनल कमेटियों का गठन किया जायेगा जिसमें पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक सदस्य संयोजक होगा। यह पैनल कमेटियां सम्बन्धित उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात सम्वर्धन हेतु रणनीति तैयार करने हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान करेंगी। प्रत्येक पैनल का सदस्य संयोजक प्रबन्ध समिति का भी सदस्य होगा। पहली बार प्रत्येक पैनल का सदस्य संयोजक राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा। नामित सदस्यों का कार्यकाल रोस्टरवार सदस्यों का निर्वाचन होने तक होगा। संयोजक के सहयोग से पैनल के अन्य 04 सदस्यों को शासन द्वारा नामित किया जायेगा।

(4) चिन्हित किये गये उत्पादों/सेवाओं हेतु गठित पैनल में निम्नानुसार अंकित क्षेत्रों से प्रारम्भिक स्तर पर प्रतिनिधित्व केन्द्रित किया जायेगा:-

1	एग्रीकल्चर एवं मीट	लखीमपुर,पीलीभीत, बरेली,शाहजहांपुर,सीतापुर,लखनऊ, मेरठ,सहारनपुर,बरेली,गाजियाबाद,मुजफ्फर नगर
2	आई.टी. एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	गौतमबुद्धनगर, आगरा
3	हैण्डीक्राफ्ट्स	मुरादाबाद,सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी,फिरोजाबाद
4	हैण्डलूम्स	वाराणसी,अमरोहा,सीतापुर,बाराबंकी,गौतमबुद्व नगर, मऊ
5	कारपेट एवं दरी	भदोही,मिर्जापुर,शाहजहांपुर, सीतापुर
6	परफ्यूमरी, फ्रेगरेन्स एवं एसेन्सियल आयॅल्स	कन्नौज,बरेली
7	फार्मास्यूटिकल्स एवं मेन्थॉल	बाराबंकी,बदायूं,सम्भल
8	मार्बल,स्टोन,सिरेमिक्स एवं पॉटरी	आगरा,खुर्जा,आजमगढ़
9	लेदर एवं लेदर प्रोडक्ट्स	कानपुर,उन्नाव
10	रेडिमेड गारमेन्ट्स	गौतमबुद्व नगर, लखनऊ
11	स्पोर्टस गुड्स	मेरठ
12	इन्जीनियरिंग गुड्स	कानपुर,लखनऊ,गाजियाबाद
13	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	लखीमपुर,पीलीभीत,बरेली,शाहजहांपुर,सीतापुर,लखनऊ,मेरठ सहारनपुर,बरेली,गाजियाबाद,मुजफ्फर नगर
14	पर्यटन परिवहन एवं हास्पिटेलिटी	समस्त उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15 अन्य उपर्युक्त से भिन्न उत्पाद एवं सेवायें

(5) प्रबन्ध समिति में कुल 28 सदस्य होगें,जिनमें एक अध्यक्ष,एक उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य सचिव होगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग,पशुधन विभाग,अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,सूक्ष्म,लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव या उनके प्रतिनिधि तथा सचिव पर्यटन/परिवहन विभाग या उनके प्रतिनिधि इस समिति के पदेन सदस्य होगें। संयुक्त निर्यात आयुक्त,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,उ0प्र0 इसके पदेन सदस्य सचिव के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर एक वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। एक-एक सदस्य कुल 04 सदस्य हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद,एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथारिटी,कालीन निर्यात संबर्धन परिषद एवं इंजीनियरिंग निर्यात संबर्धन परिषद से लिये जायेंगे। शेष 15 सदस्य उपर्युक्तानुसार वर्णित विभिन्न उत्पाद/सेवा समूहों (ट्रेड एवं इण्डस्ट्री) के संयोजक सदस्य होगें। इस समिति में एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन विभिन्न उत्पाद/सेवा समूहों (ट्रेड एवं इण्डस्ट्री) के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। उपाध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। 15 सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिनमें से एक तिहाई सदस्य (05सदस्य) प्रत्येक वर्ष रिटायर होते रहेंगे।

(6) उ0प्र0निर्यात संवर्धन परिषद में प्रवेश हेतु प्रारम्भ में बड़े निर्यातकों से रु0 1000/-तथा छोटे निर्यातकों (एम0एस0एम0ई0) से रु0 100/-प्रवेश शुल्क के रूप में लिये जायेंगे। आगामी वर्षो में प्रस्तावित परिषद द्वारा शुल्क निर्धारण के सम्बंध में समुचित निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार बड़े निर्यातकों से रु0 2500/-तथा छोटे निर्यातकों से रु0 100/- वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में लिये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। पैनल की सदस्यता जो कि स्वैच्छिक होगी, हेतु रु0 1000/- की धनराशि अलग से ली जायेगी।

(7) उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद, कम्पनी एक्ट 1956 यथा संशोधित-2013 के अन्तर्गत एक अलाभकारी संस्था होगी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। यह एक सेल्फ सस्टेनिबिल बाडी होगी जिसकी ट्रेड एवं इण्डस्ट्री द्वारा फण्डिंग की जायेगी। इस समिति की आय का मुख्य स्रोत प्रवेश शुल्क, वार्षिक सदस्यता शुल्क, पैनल सदस्यता शुल्क व कास्ट रिकवरी बेसिस पर प्रदान की जाने वाली विशेषज्ञ सेवाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि होगी। नैत्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलग से अपने कोष सृजित किये जायेंगे, इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यापार मेलों/क्रेता विक्रेता सम्मेलन के आयोजन से प्राप्त होने वाली धनराशि भी परिषद की आय का प्रमुख स्रोत होगी। परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिये जाने वाले विभिन्न शासकीय अनुदानों का वितरण भी किया जा सकेगा।

(8) प्रथम चरण में उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना हेतु एक कारपस फण्ड बनाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रू0 5.00 करोड़ से अनधिक की धनराशि उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासन द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी, जिसकी वापसी की अवधि 10 वर्ष होगी।

(9) उत्तर प्रदेश निर्यात सम्वर्धन परिषद की स्थापना एवं क्रियान्वयन के सम्बंध में किसी भी प्राविधान का संशोधन/परिमार्जन अथवा स्पष्टीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किये जा सकेंगे।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1609(1)/18-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र, शासन।
3. प्रमुख सचिव,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव,औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव,न्याय विभाग,उ0प्र0 शासन।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. प्रबंध निदेशक,उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ।
11. निर्यात आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
13. महानिदेशक, पर्यटन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
14. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
15. निदेशक,मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
16. अधिशासी निदेशक, एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल फार हैण्डीक्राफ्ट नई दिल्ली।
17. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश का प्रख्यापन गजट के आगामी अंक में करते हुए 250 मुद्रित प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in